उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1153—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 15—23 पें0एवंआर0 / 2015, दिनांक : 30 सितम्बर, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) /
मुख्य अभियन्ता (जानपद—वितरण / पारेषण),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : पेन्शनर्स को देय चिकित्सा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न संवर्गो के सेवकों को उनके सेवानिवृत्त उपरान्त भी पेन्शन के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता उस दर से भुगतान किये जाने के आदेश किये गये थे, जिस दर पर वह ठीक सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्व में परिषदादेश संख्या—5652—डब्ल्यू0सी0 / राविप (औ0सं0उन्नीस)88—(14) एफ / 86, दिनांक 28.02.1989 द्वारा परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा भत्ता की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की गई थी :-

पेन्शनर की श्रेणी	चिकित्सा भत्ते की दर
वे जो रू0 1500 / — तक की मासिक पेन्शन आहरित करते है।	पेन्शन का 6 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू0 30 / — और अधिकतम रू0 60 / —
वे जो रू0 1501 / — अथवा उससे अधिक की मासिक पेन्शन आहरित करते है।	पेन्शन का 4 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू0 60 / — और अधिकतम रू0 100 / —

2 उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत समस्त कार्मिकों को कारपोरेशन आदेश संख्या : 519—का0वि0नि0 एवं वे0प्र0—29 / पाकालि / 2015—27—पी / 88 दिनांक 04 जुलाई, 2015 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में, समान रूप से रू0 200 / — प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता अनुमन्य कराया गया है।

3. उपरोक्त के क्रम में निदेशक मण्डल की दिनांक 08.09.2015 को सम्पन्न 118वीं बैठक में पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों जिन्हें पेन्शन की अनुमन्यता है, को भी कारपोरेशन के सेवारत कार्मिको की भाँति समान रूप से दिनांक 04.07.2015 से चिकित्सा भत्ता रू0 200 / — प्रतिमाह की दर से सहर्ष अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

4 कृपया सम्बन्धित पेन्शनरों को तदनुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना सुनिश्चित करायें।

5. उपरोक्त व्यय कारपोरेशन के बजट के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एच0पी0 वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)

क्रमशः 2